

नियमावली : निर्धन छात्रवृत्ति

1. छात्रनिधि से संकलित निर्धन कोष के माध्यम से किसी एक छात्र-छात्रा को प्रतिवर्ष निर्धन छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
2. छात्रवृत्ति की धनराशि ₹0 3000/- होगी।
3. छात्रवृत्ति का भुगतान अकाउंटपेयी चेक के माध्यम से किया जाएगा।
4. योग्यता : (क) आवेदक बीपीएल श्रेणी का होना चाहिए।
(ख) पूर्ववर्ती कक्षा का प्राप्तांक प्रतिशत।

बीए प्रथम वर्ष हेतु	कक्षा 12 के अंकों का प्रतिशत
बीए द्वितीय वर्ष हेतु	बीए प्रथम वर्ष के अंकों का प्रतिशत
बीए तृतीय वर्ष हेतु	बीए द्वितीय वर्ष हेतु के अंकों का प्रतिशत
बीएड् एवं बीपीएड् प्रथम वर्ष हेतु	स्नातक अन्तिम वर्ष के अंकों का प्रतिशत
बीएड् एवं बीपीएड् द्वितीय वर्ष हेतु	बीएड् एवं बीपीएड् प्रथम वर्ष के अंकों का प्रतिशत

5. यह छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्र-छात्राओं को प्रदान की जाएगी जो किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ न ले रहे हों।

नोट: उपर्युक्त नियमावली राठ महाविद्यालय के निर्धन छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 को आयोजित बैठक में पारित और तदुपरांत महाविद्यालय द्वारा स्वीकृत की गयी।

संशोधित नियमावली : निर्धन छात्रवृत्ति

दिनांक 11 अप्रैल, 2022 को आयोजित बैठक में निर्धन छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए—

1. सत्र 2021–22 से कुल तीन छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी।
2. प्रत्येक छात्रवृत्ति की धनराशि ₹2000 होगी।
3. बीए, बीएड् तथा बीपीएड के लिए अलग—अलग, एक—एक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
4. छात्रवृत्ति हेतु केवल प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर के छात्र ही अर्ह होंगे।
5. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा।
6. शेष नियम एवं शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

नोट: उपर्युक्त संशोधित नियमावली राठ महाविद्यालय के निर्धन छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 2022 को आयोजित बैठक में पारित और तदुपरांत महाविद्यालय द्वारा स्वीकृत की गयी।